राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1491/2013/बांसवाड़ा.

मैसर्स मून मार्बल इण्डस्ट्रीज, तलवाड़ा, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–बांसवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के. एल. चंचावत, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/10/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 185/MVET/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बांसवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहन प्रवेश कर अधिनियम, 1988 (जिसे आगे **'अधिनियम, 1988'** कहा जायेगा) की धारा 3 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी द्वारा हाइड्रोलिक डम्पर खरीदा गया था, जिस पर अधिनियम, 1988 की धारा 3 के तहत प्रवेश कर की देयता निर्धारित की गई, परन्तु 12.5 प्रतिशत की दर लागू करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी ने यह तर्क दिया था कि व्यवसायी द्वारा जो टिपर खरीदा गया है वह हाइड्रोलिक डम्पर की श्रेणी में आता है न कि एक ट्रक की श्रेणी में सम्मिलित योग्य है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी है, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो टिपर की खरीद की गयी है वह टिपर एक अलग ब्राण्ड का नाम है बल्कि उसकी कार्य विधि डम्पर की ही है एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में भी माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **अपील संख्या 1741/2012/बांसवाड़ा मैसर्स वागड़ कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बांसवाड़ा बनाम सहायक आयुक्त, बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 23.03.2015** में पूर्ण विवेचन के साथ निर्णीत किया जा चुका है कि टिपर एवं डम्पर एक ही तरह के व्हिकल हैं, जिनकी डिजाईन एवं उपयोग पूर्णतया समान हैं, अतः टिपर को हाईड्रोलिक डम्पर में सम्मिलित मानते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 155 के अनुसार करदेयता मानी गयी थी। इसी के साथ यह भी कथन किया कि इस सम्बन्ध में स्वयं वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त द्वारा वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत **मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड के मामले में दिनांक 22.01.2015** को यह निर्णय किया जा चुका है कि टिपर ट्रक का उपयोग अर्थ–मुविंग एवं माईनिंग मशीनरी के रूप में होने से वह वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की क्रम संख्या 155 से ही कर योग्य है। इस तरह स्वयं विभाग द्वारा एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा इस विवाद को समाप्त कर अन्तिम रूप से अनुसूची–IV के अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य माना है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किये जाने का आदेश किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने दूसरा बिन्दु यह प्रस्तुत किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर के सम्बन्ध में पारित आदेश में अधिनियम, 1988 (वाहन) के अलावा राजस्थान में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के तहत भी उसी आदेश में एक प्रतिशत से कर आरोपित किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अपास्तनीय है। यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया एवं न ही इस बिन्दु का कोई उल्लेख किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में विवाद का बिन्दु मात्र यह है कि अपीलार्थी द्वारा खरीद किये गये टिपर हाईड्रोलिक डम्पर की श्रेणी में सम्मिलित योग्य है अथवा नहीं। इस बिन्दु पर वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त द्वारा मैसर्स सद्भाव

लगातार.....3

इंजीनियरिंग लिमिटेड, उदयपुर के प्रकरण संख्या प.5सी(13)एसीसीटी/वैटआईटी/कर दर/14 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2015 में वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत यह विनिश्चय कर दिया गया है कि टिपर एवं डम्पर एक ही वस्तु है एवं इन पर वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 155 के अनुसार 4 प्रतिशत से ही कर देयता है। साथ ही इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी ऊपर वर्णित **अपील संख्या 1741/2012/बांसवाड़ा मैसर्स वागड़ कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बांसवाड़ा बनाम सहायक आयुक्त, बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 23.03.2015** में यह पूर्ण विवेचन के साथ निर्णीत किया जा चुका है कि टिपर एवं डम्पर समान वस्तु होने से इस पर करदेयता प्रविष्ठि संख्या 155 के अनुसार है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधिनियम, 1988 के तहत आरोपित कर 4 प्रतिशत तक की पुष्टि की जाती है एवं अवशेष अधिक आरोपित कर एवं ब्याज अपास्त किये जाते हैं।

7. अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के तहत भी मोटर व्हिकल के रूप में एक प्रतिशत से करारोपण किया गया है एवं शास्ति भी आरोपित की गयी है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी भी तरह का न तो उल्लेख किया गया है एवं न ही कोई निर्णय दिया गया है जबकि अपीलार्थी की ओर से अधिनियम, 1988 एवं माल के अधिनियम, 1999 के तहत दोनों तरह के आरोपित करों को विवादित किया गया था। उक्त दोनों अधिनियमों के अधीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक ही आदेश पारित किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि उनके द्वारा अधिनियम, 1999 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था एवं जो नोटिस दिनांक 27.10.2009 के लिये जारी किया जाना बताया गया है, उसके सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली की आदेशिका अनुसार दिनांक 27.10.2009 को कोई कार्यवाही नहीं की गयी बल्कि आदेशिका के अनुसार दिनांक 23.04.2010 को विवादित कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 8 पर जो नोटिस उपलब्ध है, उस नोटिस के पृष्ठ भाग पर नोटिस तामील नहीं होने का अंकन किया हुआ है एवं अपीलार्थी को अधिनियम, 1999 के तहत कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया है एवं न ही उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई विवरण कर निर्धारण आदेश में दिया है बल्कि अधिनियम, 1988 के तहत किये गये आदेश में ही 1 प्रतिशत से

लगातार.....4

करारोपण किया गया है वह अविधिक होने से एक प्रतिशत से कर रूपये 9093/— एवं धारा 12(5) के तहत डेढ़ गुणा शास्ति रूपये 13,640/— को अपास्त किया जाता है, परन्तु अधिनियम, 1988 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1000/— की पुष्टि की जाती है।

8. उक्तानुसार प्रस्तुत अपील का निस्तारण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अधिनियम, 1988 के तहत 4 प्रतिशत से अधिक आरोपित कर एवं तद्नुसार ब्याज की राशि में कमी करें।

9. अधिनियम, 1999 के तहत उक्त आदेश जो अधिनियम 1988 के तहत पारित किया गया है, में आरोपित प्रवेश कर एवं तद्नुसार ब्याज व शास्ति अपास्त किये जाते हैं।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य